लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

ऑनलाईन अपील संख्या
218848321321578 / 2026
अपील सं. 04 / 2026
जीसीएमएस सं. 2026 / 9

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री आशीष शर्मा, निवासी P 26 MADHUBAN COLONY WEST TONK ROAD, JAIPUR, WARD NO-136, JAIPUR GREATER JAIPUR RAJASTHAN 302015 Mobile no- 9844202990	बनाम	अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) जिला बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 25–02–2026

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऑन लाईन आवेदन 218468024396268 दिनांक 07–01–2026 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर [illegible] न्यायालय से नोटिस दिनांक 06–02–2026 जारी किया गया [illegible] प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया [illegible]ा।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक एफ 40(5) एडीएम/ आरटीआई/ 2026/ 17–18 दिनांक 13–02–2026 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना कार्यालय में सॉप्ट कॉपी में संधारित नही की जाती है। अतः वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। इस बाबत् अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 12 दिनांक 05.02.2026 से नियमानुसार समयावधि के भीतर ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से सूचित किया गया है। अपील अपीलार्थी निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का एवं **अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र 218468024396268 दिनांक 07–01–2026 से एक बिन्दु जिसके तहत बांसवाडा जिले के कृषको की सूची मय गॉव व खसरा नंबरान् की सूची एक्सेल फाईल के रुप में चाही गई है। वांछित सूचना लोक कार्यालय में सॉप्ट कोपी संधारित नही होने के बाबत् लोक सूचना अधिकारी द्वारा उनके पत्रांक 40(1) एडीएम/ आरटीआई/ 2026/ 12 दिनांक 05–02–2026 से अपीलार्थी को सूचित किया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना प्राधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार संधारित की जाती है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से यह अपील अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25–02–2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2026.03.27 18:08:28 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. इन्द्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर (राज.)